अधिनियम ४०

परिचालन द्वारा विद्या परिषद् के प्रस्तावानुसार	परिचालन द्वारा कार्यकारिणी परिषद् के अनुमोदनानुसार
विश्विद्यालय अधिनियम के तहत, धारा २७(२) के साथ पढी जाय धारा २६(के) एवं अधिनियम १५(१)	विश्विद्यालय अधिनियम के तहत, धारा २७(२) के साथ पढी जाय धारा २६(के) एवं अधिनियम १५(१)
कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद् विद्यालयीन विद्या परिषद् द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार विश्वविद्यालयीन वर्तमान अधिनियमों के परिवर्धित नियम के तहत अध्ययन शाला एवं अध्ययन विभागों की संस्थापना हेतु नवीन अधिनियम प्रस्तुत करता है	कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद् विद्यालयीन विद्या परिषद् द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार विश्वविद्यालयीन वर्तमान अधिनियमों के परिवर्धित नियम के तहत अध्ययन शाला एवं अध्ययन विभागों की संस्थापना हेतु नवीन अधिनियम प्रस्तुत करता है
पिरिवर्धित अधिनियम ४० (अधिनियम ३९ के पश्चात्) ४० वर्तमान में निम्नलिखित अध्ययन शाला एवं विभाग, विश्वविद्यालय में संस्थित हैं ।	**पिरिवर्धित अधिनियम ४० (अधिनियम ३९ के पश्चात्)** ४० वर्तमान में निम्नलिखित अध्ययन शाला एवं विभाग, विश्वविद्यालय में संस्थित हैं ।
अध्ययन शालाएँ	अध्ययन शालाएँ
१ स्नातक अध्ययन शाला	१ स्नातक अध्ययन शाला
२ मानविकी एवं भाषा अध्ययन शाला	२ मानविकी एवं भाषा अध्ययन शाला
३ माध्यम अध्ययन शाला	३ माध्यम अध्ययन शाला
४ चाक्षुष एवं प्रदर्शनकला अध्ययन शाला	४ चाक्षुष एवं प्रदर्शनकला अध्ययन शाला
५ अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन शाला	५ अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन शाला
६ सामाजिक एवं व्यवहार विज्ञान अध्ययन शाला	६ सामाजिक एवं व्यवहार विज्ञान अध्ययन शाला
७ व्यापार अध्ययन शाला	७ व्यापार अध्ययन शाला
८ विधिक एवं न्यायशास्त्र अध्ययन शाला	८ विधिक एवं न्यायशास्त्र अध्ययन शाला
९ शिक्षा एवं प्रशिक्षण अध्ययन शाला	९ शिक्षा एवं प्रशिक्षण अध्ययन शाला
१० रसायनशास्त्र अध्ययन शाला	१० रसायनशास्त्र अध्ययन शाला
१२ जीव विज्ञान अध्ययन शाला	१२ जीव विज्ञान अध्ययन शाला
१३ भू विज्ञान अध्ययन शाला	१३ भू विज्ञान अध्ययन शाला
१४ परिसर विज्ञान अध्ययन शाला	१४ परिसर विज्ञान अध्ययन शाला
१५ संगणक विज्ञान अध्ययन शाला	१५ संगणक विज्ञान अध्ययन शाला
१६ अभियांत्रिकी अध्ययन शाला	१६ अभियांत्रिकी अध्ययन शाला
एवं तद्विषयक अन्य शालाएँ जो विश्वविद्यालय द्वारा समय समय पर संस्थापित किए जाएंगे	एवं तद्विषयक अन्य शालाएँ जो विश्वविद्यालय द्वारा समय समय पर संस्थापित किए जाएंगे

IndiaCode

SPECIAL OFFICER
Central University of Karnataka
GULBARGA-585106.

अध्ययन के विभाग	
१	अंग्रेजी अध्ययन विभाग
२	विदेशी भाषा अध्ययन विभाग
३	हिन्दी अध्ययन विभाग
४	उर्दू अध्ययन विभाग
५	कन्नड अध्ययन विभाग
६	अनुवाद अध्ययन विभाग
७	पत्रकारिता अध्ययन विभाग
८	संचारण एवं प्रसारण अध्ययन विभाग
९	रंगमंच एवं प्रदर्शन कला अध्ययन विभाग
१०	चलचित्र अध्ययन विभाग
११	दक्षिण एशियायी अध्ययन विभाग
१२	युरोपियन अध्ययन विभाग
१३	मध्य एशियायी अध्ययन विभाग
१४	अमेरिकन अध्ययन विभाग
१५	अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अध्ययन विभाग
१६	अंतर्राष्ट्रीय संबंध अध्ययन विभाग
१७	इतिहास अध्ययन विभाग
१८	मनोविज्ञान अध्ययन विभाग
१९	समाज कार्य अध्ययन विभाग
२०	समाज व्यवस्था अध्ययन विभाग
२१	मानव-शास्त्र अध्ययन विभाग
२२	अर्थशास्त्र एवं परियोजन अध्ययन विभाग
२३	वाणिज्य अध्ययन विभाग
२४	व्यवसाय अध्ययन विभाग
२५	विधिक एवं न्यायशास्त्र अध्ययन विभाग
२६	मानवाधिकार अध्ययन विभाग
२७	पर्यावरण निमय अध्ययन विभाग
२८	शिक्षा अध्ययन विभाग
२९	वयस्क शिक्षा अध्ययन विभाग
३०	अनौपचारिक शिक्षा अध्ययन विभाग

अध्ययन के विभाग	
१	अंग्रेजी अध्ययन विभाग
२	विदेशी भाषा अध्ययन विभाग
३	हिन्दी अध्ययन विभाग
४	उर्दू अध्ययन विभाग
५	कन्नड अध्ययन विभाग
६	अनुवाद अध्ययन विभाग
७	पत्रकारिता अध्ययन विभाग
८	संचारण एवं प्रसारण अध्ययन विभाग
९	रंगमंच एवं प्रदर्शन कला अध्ययन विभाग
१०	चलचित्र अध्ययन विभाग
११	दक्षिण एशियायी अध्ययन विभाग
१२	युरोपियन अध्ययन विभाग
१३	मध्य एशियायी अध्ययन विभाग
१४	अमेरिकन अध्ययन विभाग
१५	अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अध्ययन विभाग
१६	अंतर्राष्ट्रीय संबंध अध्ययन विभाग
१७	इतिहास अध्ययन विभाग
१८	मनोविज्ञान अध्ययन विभाग
१९	समाज कार्य अध्ययन विभाग
२०	समाज व्यवस्था अध्ययन विभाग
२१	मानव-शास्त्र अध्ययन विभाग
२२	अर्थशास्त्र एवं परियोजन अध्ययन विभाग
२३	वाणिज्य अध्ययन विभाग
२४	व्यवसाय अध्ययन विभाग
२५	विधिक एवं न्यायशास्त्र अध्ययन विभाग
२६	मानवाधिकार अध्ययन विभाग
२७	पर्यावरण निमय अध्ययन विभाग
२८	शिक्षा अध्ययन विभाग
२९	वयस्क शिक्षा अध्ययन विभाग
३०	अनौपचारिक शिक्षा अध्ययन विभाग

SPECIAL OFFICER
Central University of Karnataka
GULBARGA-585106.

३१	रसायनशास्त्र अध्ययन विभाग
३२	गणित अध्ययन विभाग
३३	भौतशास्त्र अध्ययन विभाग
३४	नॉनोविज्ञान अध्ययन विभाग
३५	आण्विक जीवविज्ञान अध्ययन विभाग
३६	जीव तंत्रज्ञान अध्ययन विभाग
३७	जीव सूचनाशास्त्र अध्ययन विभाग
३८	जीव रसायनशास्त्र अध्ययन विभाग
३९	सस्यशास्त्र अध्ययन विभाग
४०	प्राणीशास्त्र अध्ययन विभाग
४१	आनुवंशिकी अध्ययन विभाग
४२	भूगर्भशास्त्र अध्ययन विभाग
४३	भूगोलशास्त्र अध्ययन विभाग
४४	भूरसायनशास्त्र एवं भूभौतशास्त्र अध्ययन विभाग
४५	भूसूचनाशास्त्र अध्ययन विभाग
४६	परिस्थितिशास्त्र अध्ययन विभाग
४७	परिसरशास्त्र अध्ययन विभाग
४८	गणकशास्त्र अध्ययन विभाग
४९	कृत्रिम गुप्तचरशास्त्र अध्ययन विभाग
५०	नागरिक अभियान्त्रिकशास्त्र अध्ययन विभाग
५१	रसायनिक अभियान्त्रिकशास्त्र अध्ययन विभाग
५२	भौतिकीय अभियानन्त्रिकशास्त्र अध्ययन विभाग
५३	विद्युदणु अभियानन्त्रिकशास्त्र अध्ययन विभाग
५४	संचारण अभियानन्त्रिकशास्त्र अध्ययन विभाग
५५	संगणक अभियानन्त्रिकशास्त्र अध्ययन विभाग
५६	जीव अभियानन्त्रिकशास्त्र अध्ययन विभाग
५७	जीवचिकित्सा अभियानन्त्रिकशास्त्र अध्ययन विभाग
	एवं तद्विषयक अन्य विभाग जो समय समय पर विश्विद्यालय द्वारा संस्थापित किए जाएंगे

३१	रसायनशास्त्र अध्ययन विभाग
३२	गणित अध्ययन विभाग
३३	भौतशास्त्र अध्ययन विभाग
३४	नॉनोविज्ञान अध्ययन विभाग
३५	आण्विक जीवविज्ञान अध्ययन विभाग
३६	जीव तंत्रज्ञान अध्ययन विभाग
३७	जीव सूचनाशास्त्र अध्ययन विभाग
३८	जीव रसायनशास्त्र अध्ययन विभाग
३९	सस्यशास्त्र अध्ययन विभाग
४०	प्राणीशास्त्र अध्ययन विभाग
४१	आनुवंशिकी अध्ययन विभाग
४२	भूगर्भशास्त्र अध्ययन विभाग
४३	भूगोलशास्त्र अध्ययन विभाग
४४	भूरसायनशास्त्र एवं भूभौतशास्त्र अध्ययन विभाग
४५	भूसूचनाशास्त्र अध्ययन विभाग
४६	परिस्थितिशास्त्र अध्ययन विभाग
४७	परिसरशास्त्र अध्ययन विभाग
४८	गणकशास्त्र अध्ययन विभाग
४९	कृत्रिम गुप्तचरशास्त्र अध्ययन विभाग
५०	नागरिक अभियान्त्रिकशास्त्र अध्ययन विभाग
५१	रसायनिक अभियान्त्रिकशास्त्र अध्ययन विभाग
५२	भौतिकीय अभियानन्त्रिकशास्त्र अध्ययन विभाग
५३	विद्युदणु अभियानन्त्रिकशास्त्र अध्ययन विभाग
५४	संचारण अभियानन्त्रिकशास्त्र अध्ययन विभाग
५५	संगणक अभियानन्त्रिकशास्त्र अध्ययन विभाग
५६	जीव अभियानन्त्रिकशास्त्र अध्ययन विभाग
५७	जीवचिकित्सा अभियानन्त्रिकशास्त्र अध्ययन विभाग
	एवं तद्विषयक अन्य विभाग जो समय समय पर विश्विद्यालय द्वारा संस्थापित किए जाएंगे

भारत सरकाराधीन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चशिक्षा विभाग नई दिल्ली , ने , पत्र संख्या एफ्.४२-२६/२००९-डेस्क (यू),दिनांक ०२.०३.२०१०,द्वारा,उपरोक्त अधिनियम के प्रति निरीक्षक की स्वीकृति संप्रेषित की है।

SPECIAL OFFICER
Central University of Karnataka
GULBARGA-585106.

IndiaCode

Statute 40

AS PROPOSED BY ACADEMIC COUNCIL BY CIRCULATION	AS APPROVED BY EXECUTIVE COUNCIL BY CIRCULATION
Section 26(k) read with Section 27(2) and Statute 15(1) of the University Act	*Section 26(k) read with Section 27(2) and Statute 15(1) of the University Act*
The Executive Council of Central University of Karnataka, on the proposal made by the Academic Council, hereby makes a new Statute providing for Establishment of Schools of Studies and Departments of Studies by way of addition to the existing Statutes of the University.	The Executive Council of Central University of Karnataka, on the proposal made by the Academic Council, hereby makes a new Statute providing for Establishment of Schools of Studies and Departments of Studies by way of addition to the existing Statutes of the University.
Add Statute 40 (after Statute 39)	**Add Statute 40 (after Statute 39)**
40. The University shall have presently the following Schools of Studies and Departments:	40. The University shall have presently the following Schools of Studies and Departments:
Schools of Studies	Schools of Studies
1. School of Undergraduate Studies 2. School of Humanities and Languages 3. School of Media Studies 4. School of Visual and Performing Arts 5. School of International Studies 6. School of Social and Behavioral Sciences 7. School of Business Studies 8. School of Legal Jurisprudence Studies 9. School of Education and Training 10. School of Chemical Sciences 11. School of Physical Sciences 12. School of Life Sciences 13. School of Earth Sciences 14. School of Environmental Science 15. School of Computer Science 16. School of Engineering	1. School of Undergraduate Studies 2. School of Humanities and Languages 3. School of Media Studies 4. School of Visual and Performing Arts 5. School of International Studies 6. School of Social and Behavioral Sciences 7. School of Business Studies 8. School of Legal Jurisprudence Studies 9. School of Education and Training 10. School of Chemical Sciences 11. School of Physical Sciences 12. School of Life Sciences 13. School of Earth Sciences 14. School of Environmental Science 15. School of Computer Science 16. School of Engineering

indiacode.nic.in

and such other Schools as may be established by the University from time to time.	and such other Schools as may be established by the University from time to time.
Departments of studies	Departments of studies
1. Department of English	1. Department of English
2. Department of Foreign Languages	2. Department of Foreign Languages
3. Department of Hindi	3. Department of Hindi
4. Department of Urdu	4. Department of Urdu
5. Department of Kannada	5. Department of Kannada
6. Department of Translation	6. Department of Translation
7. Department of Journalism	7. Department of Journalism
8. Department of Communication & Broadcasting	8. Department of Communication & Broadcasting
9. Department of Theatre and Performing Arts	9. Department of Theatre and Performing Arts
10. Department of Film Studies	10. Department of Film Studies
11. Department of South Asian Studies	11. Department of South Asian Studies
12. Department of European Studies	12. Department of European Studies
13. Department of Middle Asian Studies	13. Department of Middle Asian Studies
14. Department of American Studies	14. Department of American Studies
15. Department of International Politics Studies	15. Department of International Politics Studies
16. Department of International Relation Studies	16. Department of International Relation Studies
17. Department of History	17. Department of History
18. Department of Psychology	18. Department of Psychology
19. Department of Social Work	19. Department of Social Work
20. Department of Social Systems	20. Department of Social Systems
21. Department of Anthropology	21. Department of Anthropology
22. Department of Economic Studies and Planning	22. Department of Economic Studies and Planning
23. Department of Commerce	23. Department of Commerce
24. Department of Business Studies	24. Department of Business Studies
25. Department of Legal Jurisprudence Studies	25. Department of Legal Jurisprudence Studies
26. Department of Human Rights studies	26. Department of Human Rights studies
27. Department of Environment Law	27. Department of Environment Law
28. Department of Education	28. Department of Education
29. Department of Adult Education	29. Department of Adult Education
30. Department of Non-Formal Education	30. Department of Non-Formal Education

SPECIAL OFFICER
Central University of Karnataka
GULBARGA-585106.

8-29GI/2010

31. Department of Chemistry 32. Department of Mathematics 33. Department of Physics 34. Department of Nanosciences 35. Department of Molecular Biology 36. Department of Biotechnology 37. Department of Bio Informatics 38. Department of Bio Chemistry 39. Department of Botany 40. Department of Zoology 41. Department of Genetics 42. Department of Geology 43. Department of Geography 44. Department of Geochemistry and Geophysics 45. Department of Geoinformatics 46. Department of Ecological Studies 47. Department of Environmental Studies 48. Department of Computer Science 49. Department of Artificial Intelligence 50. Department of Civil Engineering 51. Department Of Chemical Engineering 52. Department of Mechanical Engineering 53. Department of Electronic Engineering 54. Department of Communication Engineering 55. Department of Computer Engineering 56. Department of Bio Engineering 57. Department of Bio Medical Engineering and such other departments as may be established by the University from time to time	31. Department of Chemistry 32. Department of Mathematics 33. Department of Physics 34. Department of Nanosciences 35. Department of Molecular Biology 36. Department of Biotechnology 37. Department of Bio Informatics 38. Department of Bio Chemistry 39. Department of Botany 40. Department of Zoology 41. Department of Genetics 42. Department of Geology 43. Department of Geography 44. Department of Geochemistry and Geophysics 45. Department of Geoinformatics 46. Department of Ecological Studies 47. Department of Environmental Studies 48. Department of Computer Science 49. Department of Artificial Intelligence 50. Department of Civil Engineering 51. Department Of Chemical Engineering 52. Department of Mechanical Engineering 53. Department of Electronic Engineering 54. Department of Communication Engineering 55. Department of Computer Engineering 56. Department of Bio Engineering 57. Department of Bio Medical Engineering and such other departments as may be established by the University from time to time

The Dept. of Higher Education, MHRD, Govt. of India, New Delhi, vide its letter No.F.42-26/2009-Desk(U) dated 02.03.2010 has communicated the assent of the Visitor to the above Statute.

SPECIAL OFFICER
Central University of Karnataka
GULBARGA-585106.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2010
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2010

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 110] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 24, 2017/चैत्र 3, 1939
No. 110] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 24, 2017/CHAITRA 3, 1939

कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय

(संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

गुलबर्गा, 8 फरवरी, 2017

सं. सीयूके/जीओवी/एफ–101/2016–2017/1261.—शिल्पलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:

42. योजना और निगरानी बोर्ड का गठन

(1) विश्वविद्यालय का एक योजना एवं निगरानी बोर्ड होगा, जो विश्वविद्यालय के योजना और विकास की गतिविधियों के बारे में सामान्यतः सलाह देगा और विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और भौतिक विकास के मापदंड की निगरानी करेगा।

(2) योजना एवं निगरानी बोर्ड का गठन और सदस्यों की नियुक्ति का ढंग निम्नलिखित होगा :

(ए) कुलपति, जो अध्यक्ष होंगे

(बी) सम–कुलपति

(सी) कुलपति द्वारा नामित किए गए स्कूलों के दो डीन

(डी) तीन विशेषज्ञ, योजना और उच्च शिक्षा के विकास में अपनी विशेषज्ञता/विशेष हितों के लिए जाने जाते हों, कार्यकारी परिषद द्वारा नामित किए जाएँगे

(इ) तीन विशेषज्ञ, योजना और उच्च शिक्षा के विकास में अपनी विशेषज्ञता/विशेष हितों के लिए जाने जाते हों, कुलपति द्वारा नामित किए जाएँगे

(एफ) विश्वविद्यालय के कुलसचिव

(जी) विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी

(एच) योजना एवं विकास अधिकारी या ओएसडी (योजना एवं विकास) के रूप में कुलपति द्वारा नामित व्यक्ति सदस्य सचिव होगा।

3) पदेन सदस्यों के अलावा अन्य सदस्यों की कार्यालय की अवधि, उनकी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष की होगी और वे पुन र्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

4) योजना एवं निगरानी बोर्ड के अधिकार और कार्य ऐसी होंगी, जो अध्यादेश द्वारा निर्धारित की जाएँगी ।

प्रो. चंद्रकांत एम. यातनूर, कुलसचिव, कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कलबुरगी

[विज्ञापन–III / 4 / असा. / 441 / 16]

CENTRAL UNIVERSITY OF KARNATAKA

(Established by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

Gulbarga, the 8th February, 2017

No. CUK/GOV/F-101/2016-17/1261.—The following is published for general information :

Statute 42

42- Constitution on Planning and Monitoring Board

(1) There shall be a Planning & Monitoring Board of the University which shall advise generally on the planning and development activities of the University and monitor the standard of academic and physical development of the University.

(2) The constitution of the Planning & Monitoring Board and manner of appointment of members shall be as under:

(a) The Vice Chancellor, who shall be the Chairman

(b) Pro Vice Chancellor

(c) Two Deans of the Schools to be nominated by the Vice Chancellor

(d) Three Experts, known for their expertise/special interests in planning and development of higher education, to be nominated by the Executive Council

(e) Three Experts, known for their expertise/special interest in the planning and development of higher education, to be nominated by the Vice Chancellor

(f) The Registrar of the University

(g) The Finance Officer of the University

(h) The person designated by the Vice Chancellor as the Planning & Development Officer or the OSD (Planning & Development) shall be the Member Secretary.

(3) The terms of the office of the members other than the ex-officio members, shall be three years from the date of their appointment and they shall be eligible for reappointment.

(4) The powers and functions of the Planning & Monitoring Board shall be such as may be prescribed by the Ordinance.

Prof. CHANDRAKANT M. YATANOOR, Registrar of Central University of Karnataka, Kalaburagi

[ADVT.-III/4/Exty./441/16]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 94] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 24, 2012/वैशाख 4, 1934
No. 94] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 24, 2012/VAISAKHA 4, 1934

कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय

अधिसूचना

गुलबर्गा, 30 मार्च, 2012

परिनियम 43

विश्वविद्यालय प्राधिकरण के रूप में स्कूल बोर्ड का सम्मिलन

विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत धारा 19(6) 25 और 26(a)

सं. सीयूके/जीओवी/एफ-1/2011-12/1360/1.—कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् में विद्यापरिषद के द्वारा प्रस्तावित किया गया प्रस्ताव के आधार पर एक नए परिनियम का निर्माण किया । इसमें स्कूल बोर्ड को विश्वविद्यालय के प्राधिकरण में सम्मिलित किया गया है । विश्वविद्यालय के मौजूदा परिनियमों में एक नया परिनियम बनाया गया ।

प्रस्तावना.— विश्वविद्यालय के अधिनियम के परिनियम 15(2) के अनुसार प्रत्येक स्कूल के स्कूल बोर्ड हो । संकाय/विद्यापीठ की शिक्षण प्रणाली में अनेक विभाग एक ही विद्यापीठ के अंतर्गत आते हैं । इसके द्वारा उत्तम शैक्षणिक सहकारिता, सहभागिता, अंतरविद्यावर्ती और बहुआयामी शिक्षा के लिए प्रोत्साहन दिया जा सकता है । अत: यह आवश्यक है कि स्कूल बोर्ड के अधिनियम की धारा 19 के तहत स्कूल बोर्ड विश्वविद्यालय के प्राधिकरण के रूप में सम्मिलित किया जाए । विभाग के बोर्ड ऑफ स्टडीज पहले से परिनियम में सम्मिलित हैं ।

अत: परिनियम

सम्मिलित परिनियम 43 (परिनियम 42 के उपरांत)

44-विश्वविद्यालय के प्राधिकरण के रूप में स्कूल बोर्ड को जोड़ा जाए ।

परिनियम–44

छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष

अधिनियम की धारा 27(2)

कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् में विद्या–परिषद् द्वारा दिए गए प्रस्ताव के आधार पर विश्वविद्यालय के मौजूदा परिनियमों में जोड़ते हुए छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष का एक पद सृजन करने हेतु एक नया परिनियम बनाती है।

प्रस्तावना : जैसा कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अधिनियम का परिनियम 36(1) (i) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष के संबंध में बताता है, अधिनियम में छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष की नियुक्ति के माध्यम या प्रक्रिया के लिए कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए इसकी व्यवस्था करते हुए परिनियम को बनाना आवश्यक है।

इसलिए यह परिनियम है।

परिनियम–44 जोड़ें (परिनियम–43 के उपरांत) : छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष

1. प्रत्येक छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष विश्वविद्यालय के शिक्षकों में से कुलपति की अनुशंसा पर कार्यपरिषद् द्वारा नामित किया जाएगा, जोकि एसोसिएट प्रोफेसर के पद से नीचे श्रेणी का नहीं होगा।
2. अनुच्छेद–1 के अंतर्गत नियुक्त प्रत्येक संकायाध्यक्ष एक पूर्णकालिक अधिकारी होगा और 3 वर्ष की अवधि के लिए पदधारण करेगा तथा पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।
3. परन्तु कार्यपरिषद्, यदि यह विचार करना आवश्यक समझती है तो, कुलपति की अनुशंसा पर एक शिक्षक, जोकि एक एसोसिएट प्रोफेसर के श्रेणी से नीचे नहीं हो, को उसके कर्तव्यों के अलावा, छात्र कल्याण संकायायध्यक्ष के कर्तव्यों के पालन हेतु नामित कर सकती है और ऐसी प्रकरण में उक्त शिक्षक को कार्यपरिषद् एक उचित भत्ता भुगतान करने की स्वीकृति दे सकती है।
4. एक व्यक्ति, जोकि छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है, का अपने मूल पद पर धारणाधिकार जारी रहेगा और उन सभी लाभों का पात्र होगा जोकि अन्यथा उसे मिलते, यदि उसकी नियुक्ति छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष के रूप में न होती।
5. जब एक छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष का कार्यालय रिक्त है अथवा जब छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष, किसी बीमारी के कारण अथवा अनुपस्थिति अथवा किसी अन्य वजह से, उसके कार्यालय के कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, कार्यालयीय कर्त्तव्यों का निर्वहन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, जिसकी नियुक्ति कुलपति द्वारा इस उद्देश्य के लिए की जाएगी।
6. छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष के कर्त्तव्यों और शक्तियों को अध्यादेश द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

IndiaCode

परिनियम (45)

शास्त्रीय भाषा केंद्र (कन्नड) की स्थापना

परिनियम की धारा 26 (के)

कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय कार्यपरिषद में विद्यापरिषद द्वारा तैयार किया गया प्रस्ताव को एक नया परिनियम के प्रस्ताव को शास्त्रीय भाषा (कन्नड) केंद्र की स्थापना के लिए वर्तमान विश्वविद्यालय के परिनियम में एक और परिनियम बनाया है।

प्रस्तावना– शास्त्रीय भाषा के स्तर के परिणाम के तरह कन्नड पर भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सिफारिश और अनुमोदन के बाद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शास्त्रीय भाषा केंद्र की स्थापना के लिए विश्वविद्यालयों को चिन्हित के लिए संपर्क किया गया।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसके लिए स्थापित समिति की सिफारिश के आधार पर कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय को शास्त्रीय भाषा केंद्र की स्थापना के लिए चयनित किया गया।

अतः परिनियम

परिनियम

परिनियम 45 को जोड़ना (परिनियम 44 के उपरांत)

45. शास्त्रीय भाषा केंद्र (कन्नड) की स्थापना हो। इसके आधार पर कर्तव्य एवं शक्तियाँ अध्यादेश के द्वारा निर्धारित की जाए।

उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा उनके पत्रांक एफ.42–26/2009–डैस्क(यू) दिनांक 19 अप्रैल, 2011 के माध्यम से उपरोक्त परिनियम की कुलाध्यक्ष द्वारा अनुमति की सूचना भेजी गई है।

ह./- अपठनीय

(रजिस्ट्रार)

[विज्ञापन III/4/218-के/12/असा.]

CENTRAL UNIVERSITY OF KARNATAKA

NOTIFICATION

Gulbarga, the 30th March, 2012

STATUTE (43)

INCLUSION OF SCHOOL BOARD AS AUTHORITY OF THE UNIVERSITY

[Under Section 19(6), 25 and 26(a) of the University Act]

No. CUK/GOV/F-1/2011-12/1360/1.—The Executive Council of Central University of Karnataka, on the proposal made by the Academic Council, hereby makes a new Statute providing for the Inclusion of School Board as Authority of the University by way of addition to the existing Statutes of the University.

IndiaCode

PREAMBLE: Statute 15(2) of the University Act stipulates that the every School will have School Board. In the Schools of Studies system, several Departments are placed under the same School so as to encourage greater academic cooperation and coordination and promote inter disciplinary and multidisciplinary studies. It is therefore necessary that the School Board should be included as an authority of the University under Section 19 of the Act where the Board of Studies of the Departments is already included.

Hence, the Statute.

Add Statute 43 (after Statute 42)

43 – The School Board shall be included as an Authority of the University.

STATUTE (44)
DEAN OF STUDENTS' WELFARE
(Section 27(2) of the Act)

The Executive Council of Central University of Karnataka, on the proposal made by the Academic Council, hereby makes a new Statute providing for the creation of a post of Dean, Students' Welfare by way of addition to the existing Statutes of the University.

PREAMBLE : While Statute 36 (1) (i) of the Central Universities Act speaks of the Dean of Students' Welfare, there is no provision in the Act for the mode and procedure for appointment of Dean of Students' Welfare. Hence it was felt necessary to frame statute prescribing the same.

Hence the Statute.

Add Statute 44 (after Statute 43): DEAN OF STUDENTS' WELFARE.

1. Every Dean of Students' Welfare shall be appointed from amongst the teachers of the University, not below the rank of a Associate Professor by the Executive Council on the recommendation of the Vice-Chancellor

2. Every Dean appointed under clause (1) shall be a whole-time officer and shall hold office for a term of three years and shall be eligible for re-appointment.

3. Provided that the Executive Council may, if it is considered necessary, appoint, on the recommendation of the Vice-Chancellor, a teacher, not below the rank of a Associate Professor, to discharge the duties of the Dean of Students' Welfare in addition to his duties as such teacher and in such a case, the Executive Council may sanction a suitable allowance to be paid to him.

4. A person who is appointed as a Dean of Students' Welfare shall continue to hold his lien on his substantive post and shall be eligible to all the benefits that would have otherwise accrued to him, but for his appointment as the Dean of Students' Welfare.

5. When the office of a Dean of Students' Welfare is vacant or when the Dean of Students' Welfare is, by reason of illness or absence or any other cause, unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by such person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.

6. The duties and powers of a Dean of Students' Welfare shall be prescribed by the Ordinances.

STATUTE (45)

ESTABLISHMENT OF CENTRE FOR CLASSICAL LANGUAGE (KANNADA)

Section 26(k) of the Act

The Executive Council of Central University of Karnataka, on the proposal made by the Academic Council, hereby makes a new Statute providing for the Establishment of Centre for Classical Language (Kannada) by way of addition to the existing Statutes of the University.

PREAMBLE: Consequent to according the status of classical language on Kannada, the Govt. of India after approval and upon the recommendations of the Ministry of Human Resource Development have communicated to UGC to identify universities for the establishment of Centers in Classical languages.

The UGC, based on the recommendations of a committee constituted for this purpose, has identified the Central University of Karnataka for the establishment of Centre for Classical Language (Kannada).

Hence the Statute.

STATUTE

Add Statute 45 (after Statute 44)

45. "There shall be established a Centre for Classical Language (Kannada). The powers and functions shall be as prescribed by the Ordinances.

The Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development, New Delhi vide its letter No. F.42-26/2009-Desk (U) dated 19th April, 2011 has communicated the assent of the Visitor to the above Statute.

Sd./- Illegible
(Registrar)
[ADVT. III/4/218-K/12/Exty.]

1445 90/12-2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.